न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

निगरानी/03/2013

बाबूलाल पुत्र श्री कल्यान सिंह जाति जाट निवासी ग्रांम हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर

....सायलान

बनाम

1—केहरी । पिसरान रामजीलाल जाति जाट निवासी हतरा तहसील नदबई
2—राधे । जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तंग्रत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध आदेश ग्रांम पंचायत हन्तरा पंचायत समिति नदबई दिनांक 5—6—2004 प्रकरण संख्या 25/04 शीर्षक केहरी बनाम बाबूलाल

उपस्थित :—

1— श्री महाराजसिंह डांगुर, अभिभाषक प्रार्थी0
2— श्री गोबिन्द सिंह डांगुर अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांक 03.07.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण व खिलाफ आदेश ग्रांम पंचायत हन्तरा तहसील नदबई दिनांक 5—6—2004 के खिलाफ पेश की गई है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी.एवं पत्रावली तहत तलब की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि न्यायालय ग्रांम पंचायत हंतरा पंचायत समिति नदबई ने आराजी खसरा नमबर 2179 पर निर्माण स्वीकृति जारी करने हेतु

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आदेश दिया है। न्यायालय तहत को कृषि भूमि पर आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आदेश क्षेत्राधिकार से परे है। स्वीकृति में जो हदुद अरबा बताये गये हैं वह गतई गलत है, रास्ते के बाद निगरानीकर्ता की आबादी भूमि है जिस पर उसका गैंत बना हुआ है और प्रार्थी के हक में दिनांक 20–12–2004 को स्वीकृति निर्माण जारी की गई है। योग्य अभिभाषक का यह कथन है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध रास्ते में अपनी दीवार के सहारे अवरोध पैदा नहीं करने हेतु सिविल न्यायालय में दीवानी वाद भी दायर किया हुआ है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से निगरानीकर्ता पूर्णतया परिवेदित है। पूर्व दिशा में रास्ते की चौडाई 38 फुट गलत है यह जगह उत्तरवादी की नहीं है उत्तरवादी ने इस भूभाग पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं उन्होने लगभग आठ फुट भूमि पर अपनी दीवार के सहारे घूडा आदि डाल दिया है अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमण को बढावा देने के उद्धेश्य से निगरानी अधीन आदेश नियम विरुद्ध पारित किया है जो खारिज किया जावे। निगरानी अधीन आदेश की जानकारी अप्रार्थीगण द्वारा बतलाये जाने पर दिनांक 3.9.2013 को हुई। जानकारी होने की दिनांक से निगरानी अन्दर म्याद पेश की जा रही है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि ग्रांम पंचायत अधिनियम में म्याद की कोई अवधि नहीं है, फिर भी देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्को में जाहिर किया कि यह निगरानी ग्रांम पंचायत हन्तरा के आदेश पर तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 5.6.2004 के खिलाफ पेश की गई है। दिनांक 5.6.2004 को ग्रांम पंचायत हन्तरा ने कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि यह निगरानी चलने योग्य नहीं रहती है, गिनरानी खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्राावलीयों का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनो पर गौर किया। प्रस्तुत निगरानी ग्रांम पंचायत हन्तरा के

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

कथित आदेश दिनांक 5.6.2004 के खिलाफ पेश की गई है। तहत पत्रावली में उपलब्ध कथित आदेश दिनांक 5.6.2004 का अवलोकन किया जो इस प्रकार है– :–

"कार्यालय ग्रांम पंचायत हन्तरा (नदबई)
मौखा मायना"

".....आज दिनांक 5.6.04 को पंचायत के प्रस्ताव अनुसार एवं श्री केहरी के निवेदन अनुसार आम रास्ता मुडिया सड़क से आम रास्ता का जो विवाद था जिसमें ग्रांम पंचायत एवं ग्रांम के मौतविरान उपस्थिति रहे .....।"
मोखा मायना मौके पर लिखा एवं पढकर सुनाया गया। जो सदन मे उचित कार्यवाही हेतु पेश हो.....।"

ग्राम पंचायत हन्तरा की तहत पत्रावली में उपलब्ध आर्डरसीट दिनांक 5–6–04 को आज्ञा दी गई है कि–

".... आज दिनांक 5.6.04 को पत्राली खोलकर नम्बरी की गई.....।"
पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
हस्ताक्षर,सरंपच।

आर्डरसीट दिनांक 5.7.04 में अंकन किया गया है –

".....आज दिनांक 5.7.04 को पत्रावली सदन के समक्ष पेश की गई अतः पत्रावाली समय के अभाव में आगामी बैठक में पेश करें...।" ,
हस्ताक्षर,सरंपच

इसी प्रकार आर्डरसीट दिनांक 20.7.04 में अंकन है –

" आज दिनांक 20.7.04 को पत्रावली सदन के समक्ष पेश की गई जिसका अवलोकन किया की मौखे मायने अनुसार ही रास्ता स्पष्ट रहेगा...।"
इस आर्डरसीट पर सरंपच के हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

इस प्रकार ग्रांम पंचायत की तहत पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि ग्रांम पंचायत हन्तरा ने दिनांक 5–6–2004 को कोई आदेश या प्रस्ताव पारित नही किया गया है। कथित आदेश दिनांक 5.6.2004 जिसकी निगरानी की गई है, वह ग्रांम पंचायत हन्तरा का आदेश ना होकर विवादित जगह / रास्ते को लेकर तैयार की मौका रिपोर्ट है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है इससे जाहिर आता है कि उक्त मौका रिपोर्ट को ग्रांम पंचायत की बैठक में कार्यवाही / आदेश हेतु रखा जाना था। जिसे किसी भी प्रकार से ग्रांम पंचायत हन्तरा का आदेश या प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है। अस्तु निगरानी खारिज योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी प्रार्थी खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 03–07–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर